मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

खण्ड–II, पंचम तल, पर्यावास भवन, भोपाल

क्र. 1685 वि–12 / E-Marg / 2020 भोपाल, दिनांक 30 / 01 / 2020

प्रति,

महाप्रबंधक (समस्त)
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई

विषयः– **ई–मार्ग नेशनल के संबंध में।**

भारत सरकार एवं NIC म.प्र. द्वारा ई–मार्ग को राष्ट्रीय स्वरूप ई–मार्ग (नेशनल) में परिवर्धित किया गया है। इसे मध्यप्रदेश में भी लागू किया जा रहा है। ई–मार्ग (नेशनल) केवल DLP अवधि में संधारण के लिये है। अतः वे सभी मार्ग जो DLP अवधि में है, उनके संधारण भुगतान एवं समीक्षा ई–मार्ग (नेशनल) पर होगी। साथ ही ई–मार्ग (नेशनल) में MPRCP एवं PMGSY-II में निर्मित सड़कों के DLP अंतर्गत संधारण को भी सम्मिलित किया जावेगा।

प्राधिकरण की समस्त इकाईयों के संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रत्येक इकाई के प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर, इकाई के अन्य अधिकारियों एवं संविदाकारों को ई–मार्ग नेशनल पोर्टल की जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया जाना अपेक्षित है।

ई–मार्ग नेशनल के संबंध में प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार उल्लेखित हैः–

1. ई–मार्ग नेशनल के लागू होने पर ऐसे सभी पैकेज जो DLP अवधि में है, उन्हें ई–मार्ग नेशनल पर लाया जाएगा।
2. Post 5 Year एवं Post 10 Year संधारण के लिए वर्तमान प्रचलित ई–मार्ग में भी NIC द्वारा परिवर्धन किया जा रहा है। जो कि मार्च 2020 के उपरांत पूर्ण होना संभवित है। इस प्रकार ई–मार्ग नेशनल के साथ–साथ ई–मार्ग का वर्तमान प्रचलित राज्य संस्करण भी जारी रहेगा। परिवर्धन होने पर DLP, MTN & PTN सभी प्रकार के संधारण हेतु ई–मार्ग नेशनल प्रभावी रहेगा।
3. ई–मार्ग नेशनल एवं ई–मार्ग (राज्य संस्करण) दो अलग–अलग पोर्टल है, जिनके URL Address निम्नानुसार हैः–

क्रं.	ई–मार्ग	**URL Address**
1	ई–मार्ग नेशनल	https://emarg.gov.in
2	ई–मार्ग (राज्य संस्करण)	https://gismp.nic.in/eMarg

4. ई–मार्ग नेशनल एवं ई–मार्ग (राज्य संस्करण) दोनों पोर्टलों के लिए पीआईयू अधिकारियों एवं संविदाकारों के लिए पृथक लॉगिन व्यवस्था रहेगी। अर्थात ई–मार्ग नेशनल तथा ई–मार्ग (राज्य संस्करण) पर प्रयुक्त Login ID तथा password भिन्न रहेगें। ई–मार्ग के वर्तमान

Scanned by CamScanner

प्रचलित राज्य संस्करण में लेखाधिकारी के लिए लॉगिन सुविधा नहीं है। ई–मार्ग नेशनल में लेखाधिकारी को लॉगिन सुविधा दी जा रही है। लॉगिन व्यवस्था हेतु विस्तृत निर्देश मुख्यालय के पत्र क्रं. 1683 दिनांक 30.01.2020 (प्रतिलिपि संलग्न) में उल्लेखित किये गये है।

5. PMGSY –I/II के अंतर्गत स्वीकृत मार्गों/पैकेजों को OMMS के माध्यम से ई–मार्ग नेशनल पर सीधे उपलब्ध कराया जा रहा है। MPRCP के अंतर्गत स्वीकृत मार्ग NIC द्वारा GeoReach से ई–मार्ग नेशनल पर लाए जाएगें। अन्य योजनाओं में निर्मित मार्गों को पीआईयू द्वारा उपलबध करायी जाने वाली जानकारी के आधार पर NIC ई–मार्ग नेशनल पर लाया जाएगा।
6. PMGSY–I/II के मार्गो के विवरण में किसी भी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर उसे OMMS/NRIDA के माध्यम से सुधार कराये जाने का प्रावधान है। MPRCP के अंतर्गत निर्मित मार्गों को ई–मार्ग नेशनल मे Geo-Reach के माध्यम से लाया जा रहा है। अतः इन मार्गो की पूर्णता Geo-Reach मे अंकित करते समय समस्त विवरण का सूक्ष्मता से परीक्षण करना सुनिश्चित करें। जिससे ई–मार्ग नेशनल में इन मार्गो के संबंध में किसी प्रकार की त्रुटि न पाई जाए। राज्य सम्पर्कता, एवं राज्य शासन की अन्य योजनाओं में निर्मित मार्गों के लिए एन.आई.सी. द्वारा ई–मार्ग नेशनल मे ही पृथक से प्रावधान किया जा रहा है जिसका विवरण पृथक से उपलब्ध कराया जायेगा।
7. DLP अवधि में वर्तमान प्रचलित ई–मार्ग (राज्य संस्करण) के माध्यम से तथा सामान्य मेन्यूवल प्रक्रिया से अब तक किये गये व्यय को जोड़कर (कुल व्यय) के संबंध में जानकारी ई–मार्ग नेशनल में पीआईयू स्तर से आवश्यक रूप से अंकित की जाएगी। इसी आधार पर DLP की शेष अवधि में ई–मार्ग नेशनल के माध्यम से भुगतान संभव हो सकेगा।
8. पोर्टल पर उपलब्ध डाटा की जांच एवं पुष्टि का प्रारंभिक दायित्व सहायक प्रबंधक/उपयंत्री एवं लेखाधिकारी का है। सहायक प्रबंधक/उपयंत्री एवं लेखाधिकारी द्वारा अग्रेषित किये गये विवरण को महाप्रबंधक स्तर से Freeze करने का प्रावधान है जिसे आवश्यक होने पर Un freeze किया जा सकेगा। Freeze किये गये विवरण को अंतिम रूप से पूर्णतः संतुष्ट होने पर महाप्रबंधक द्वारा Lock करने का प्रावधान है। Lock करने के उपरांत किसी भी प्रकार का सुधार किया जाना संभव नहीं है। इस कारण से उक्त प्रक्रिया का सावधानी पूर्वक पालन किया जाए।
9. ई–मार्ग नेशनल पर रोड रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया है। इसके लिए मोबाईल एप के माध्यम से प्रत्येक मार्ग के प्रत्येक कि.मी. पर Geo tagged फोटोग्रॉफ अपलोड किये जायेगे, यह प्रक्रिया अनिवार्य है जिसके बिना मार्ग पर कोई निरीक्षण एवं भुगतान की प्रक्रिया नहीं की जा सकेगी। यह प्रक्रिया हर मार्ग के लिए केवल एक बार की जायगी।
10. ई–मार्ग नेशनल मे NRIDA द्वारा निरीक्षण एवं भुगतान के संबंध में जो नये प्रावधान पोर्टल पर लागू हैं, वे प्राधिकरण के DLP अंतर्गत किए जा रहे संधारण हेतु लागू रहेंगे। इन प्रावधानों के बारे मे प्रशिक्षण के दौरान विस्तृत जानकारी दी जा चुकी है; प्रावधान निम्नानुसार हैं –
    i. No Payment for less than 80 marks in Performance Evaluation (PE) & Proportionate for any marking above 80
    ii. If any two stretches of the road get less than 80 marks in a PE, no payment for the complete road
    iii. If same stretch gets less than 80 marks in consecutive PE, no payment for the complete road in later PE.

Scanned by CamScanner

प्रशिक्षण के दौरान किये गये प्रस्तुतीकरण की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

11. ई–मार्ग नेशनल हेतु एक पृथक मोबाईल एप भी विकसित किया गया है। जो कि सभी निरीक्षणकर्ता अधिकारियों को उनके लॉगिन पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध है। इस मोबाईल एप से रूटीन एवं फीडबैक निरीक्षण किये जाएगे। परफॉर्मेन्स इवैल्यूवेशन हेतु एप का उपयोग नहीं हो सकेगा। इस प्रकार ई–मार्ग के राज्य संस्करण के प्रभावी रहने तक दो अलग–अलग एप प्रत्येक निरीक्षणकर्ता अधिकारी के लिए रहेगे।

12. उल्लेखनीय है कि ई–मार्ग के वर्तमान प्रचलित संस्करण तथा नेशनल ई–मार्ग तकनीकी रूप से भिन्न पोर्टल है। अतः महाप्रबंधक परियोजना क्रियान्वयन इकाई के डिजिटल सिग्नेचर सार्टिफिकेट (DSC) नेशनल पोर्टल पर पृथक से रजिस्टर किये जायगें। रजिस्टर करने की प्रक्रिया पूर्ववत् रहेगी।

13. प्राधिकरण में ई–मार्ग नेशनल को निम्नानुसार प्रभावी किया जा रहा है:–

a. सभी अधिकारियों एवं संबंधित संविदाकारों के लॉगिन व्यवस्था हेतु विस्तृत निर्देश मुख्यालय के पत्र क्रं. 1683...... दिनांक 30.01.2020 में उल्लेखित किये गये है। तदानुसार कार्यवाही करें।

b. MPRCP एवं PMGSY-II के अंतर्गत निर्मित मार्ग ई–मार्ग नेशनल पर 01 फरवरी 2020 से उपलब्ध रहेंगे। PMGSY-II के मार्गों का डाटा OMMAS माध्यम से प्राप्त होगा इस हेतु OMMAS के Technical Module मे संबंधित पैकेज के Maintenance Agreement No. की सही प्रविष्टि किया जाना आवश्यक है, अन्यथा की स्थिति में पैकेज ई–मार्ग नेशनल में दर्शित नहीं हो सकेगा।

c. NIC द्वारा GeoReach के माध्यम से MPRCP के अंतर्गत स्वीकृत मार्गों का डाटा ई–मार्ग नेशनल पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इस के अतिरिक्त PMGSY-II मार्गों का डाटा भी OMMAS के माध्यम से ई–मार्ग नेशनल पर उपलब्ध कराया जा रहा है। प्राथमिकता के आधार पर इन मार्गों के डाटा परीक्षण एवं पुष्टि का कार्य इकाईयों द्वारा किया जाये एवं निरीक्षण तथा भुगतान प्रक्रिया प्रारम्भ की जाये।

d. PMGSY-I मे निर्मित मार्गों का डाटा भी OMMAS के माध्यम से प्राप्त होगा अतः OMMS के Technical Module मे संबंधित पैकेज के Maintenance Agreement No. की सही प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित करें। PMGSY-I मे निर्मित मार्गों को 01 अप्रैल 2020 की स्थिति में ई–मार्ग नेशनल पर लाया जायेगा। तथापि ऐसे पैकेज जिनकी DLP अवधि जून 2020 तक समाप्त हो रही है। उन्हें वर्तमान ई–मार्ग पर यथावत रखा जाए एवं अवधि पूर्ण होने पर Post 5 Year संधारण मे वर्तमान प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार Shift किया जाए।

e. PMGSY-I के पैकेज जिनमें अबतक संधारण का कोई भी भुगतान नहीं किया गया है उन्हें सीधे ई–मार्ग नेशनल पर लाया जाये।

f. PMGSY-I के ऐसे पैकेज जो DLP अवधि मे हैं तथा भुगतान प्रक्रिया ई–मार्ग(राज्य संस्करण) के माध्यम से प्रचलन मे हैं, को दिनांक 01 अप्रैल 2020 से ई–मार्ग नेशनल पर लाया जाएगा। इकाईयों द्वारा किसी पैकेज की 6 माह की Billing Cycle का भुगतान पूर्ण होने पर तत्काल ऐसे पैकेज को ई–मार्ग नेशनल पर लाया जाये। ऐसे पैकेज जिनकी 01 अप्रैल 2020 की स्थिति में 6 माह की अवधि पूर्ण नहीं हुई है अथवा प्रचलन में है तथा संविदाकार द्वारा कुछ Bill Submit किये जा चुके हैं, ऐसे पैकेज में Submit किये गये Bills को पोर्टल पर Return किया जाए तथा

Scanned by CamScanner

इसके पश्चात उस पैकेज को ई–मार्ग नेशनल पर लाया जाए तथा उक्त छमाही अवधि का भुगतान ई–मार्ग नेशनल के माध्यम से किया जाये।

g. ई–मार्ग नेशनल पर उपलब्ध कराये गये पैकेजों तथा उनके विवरणों का परीक्षण इस पत्र के बिन्दु क्रमांक 8 के अनुसार किया जाए एवं भुगतान प्रक्रिया प्रारम्भ की जाए।

उपरोक्त के साथ–साथ पोर्टल पर लॉगिन करने पर Help Menu के अंतर्गत User Manual उपलब्ध है जिसमे सभी प्रक्रियाओं की सचित्र व्याख्या की गई है। समस्त इकाईयों से यह अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त निर्धारित व्यवस्था का पालन करना सुनिश्चित करेगें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

30.1.2020

(उमाकांत उमराव)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,भोपाल

क्रः 1686 वि–12/E-Marg/2020 भोपाल, दिनांक 30/01/2020

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख अभियंता म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल।
2. श्री विवेक चितले, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एवं अतिरिक्त राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, Head GIS and OTG, NIC मध्यप्रदेश, विन्ध्याचल भवन भोपाल ।
3. मुख्य महाप्रबंधक (वित्त), म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल।
4. मुख्य महाप्रबंधक (निविदा एवं ई–गवर्नेस), म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल ।
5. क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक (समस्त), म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, ... ।
6. वित्तीय परामर्शदाता, म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल ।
7. महाप्रबंधक (संधारण 1 एवं 2), म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल ।
8. महाप्रबंधक (ई–मार्ग), म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल ।
9. टास्क मेनेजर म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल।

– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,भोपाल

Scanned by CamScanner